शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य, दिनांक- 17.06.2024

रात्रि में खेत से वाटर पम्पिंग सेट(इन्जन) चोरी करने वाले 02 शातिर चोर गिरफ्तार,

श्री अशोक कुमार मीना, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्री संजीव कुमार वाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम/गश्त के दौरान आज दिनाँक 17.06.2024 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 16.06.2024 को थाना बण्डा क्षेत्र के श्री गुड्डू पुत्र विजयपाल नि0 नवादा ढाह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक तहरीर देकर थाना हाजा पर मु0अ0सं0-406/2024 धारा 379 भादवि बनाम साधू पुत्र अनंगपाल, नरेन्द्रपाल पुत्र रामभजन, सुनील पुत्र छोटे नि0गण अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 जयचन्द गिरि द्वारा सम्पादित की जा रही है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में उपरोक्त चोरो(गिरोह) की अतिशीघ्र गिरफ्तारी/माल बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया। जिसके टीम प्रभारी, श्री राकेश कुमार मौर्य प्रभारी निरीक्षक बण्डा थे। इसी क्रम में आज दिनांक 17.06.2024 को उ0नि0 जयचन्द गिरि मय हमराहीयान के देखरेख शान्ति/कानून व्यवस्था, चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश माल -मुल्जिमान, अभियान रोकथाम अवैध शस्त्र बरामदगी / शराब कसीदगी-बिक्री व रोडगश्त इलाका थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना/निशादेही पर अभि0 जि साधू पुत्र अनंगपाल, नरेन्द्रपाल पुत्र रामभजन नि0गण नवादा ढाह थाना बण्डा शाहजहाँपुर को नवदिया बंकी मोड जंगल के पास से समय करीब 05.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा उक्त व्यक्ति के कब्जे से चोरी किये गये वाटर पम्पिंग सेट(इन्जन) बरामद हुआ और अपने जुर्म का इकबाल किया गया । अभि0गण से वाटर पम्पिंग सेट(इन्जन) बरामदगी के आधार पर नियमानुसार धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है व घटना कारित करने में अन्य अभियुक्त सुनील उपरोक्त मौका पाकर भागने मे सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। उपरोक्त कार्यवाही के बाद अभि0 गण उपरोक्त न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

➢ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1.साधू पुत्र अनंगपाल नि0 नवादा ढाह थाना बण्डा शाहजहाँपुर,

2.नरेन्द्रपाल पुत्र रामभजन नि0 नवादा ढाह थाना बण्डा शाहजहाँपुर,

➢ **भागा हुआ अभियुक्त का विवरण-**

1.सुनील पुत्र छोटे नि0 नवादा ढाह थाना बण्डा शाहजहाँपुर,,

➢ **बरामदगी का विवरण-**

1. वाटर पम्पिंग सेट(इन्जन),

➢ **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0- 406/2024 धारा 379/411 भादवि बनाम साधू आदि 03 नफर थाना बण्डा,

➢ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. श्री राकेश कुमार मौर्य, प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2. उ0नि0 जयचन्द गिरि थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4. का0 1326 कर्मवीर सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
5. का0 731 जरनैल सिंह, थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
6. का0 745 मोनू चौधरी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर।

➢ पूछताछ अभियुक्त.......... अभि0 गण साधू व नरेन्द्रपाल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि साहब साहब, यह इन्जन हम लोगो ने दिनांक -13.06.24 को ग्राम नवादा ढाह में गुड्डू के खेत से चुरा कर जंगल में छुपाया था और पकडे जाने के डर से आज इसे लेकर हम लोग दूसरी जगह छुपाने जा रहे थे, कि आप लोगो ने पकड़ लिया। साहब हम लोगो ने इन्जनिया इसलिए चुरायी थी कि इसको बेचकर अपना खर्चाचला लेते व कुछ देनदारी दे लेते। हमारे एक ओर साथी सुनील था जो मौका पाकर भाग गया वह भी इस चोरी में शामिल था। साहब हम लोगो से गलती हो गयी है हमे माफ कर दो।

,